रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 14, 2008/पौष 24, 1929

No. 23] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 14, 2008/PAUSA 24, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2008

सं. 8/2008-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 28(अ).—अभिहित प्राधिकारी, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 2942 00 के अंतर्गत आने वाले चीन जनवादी गणराज में मूलत: उदगमित या वहां से निर्यात किये गए डी (-) पैरा हाईड्रोक्सी फिलाइन ग्लाइसिन बेस (पीएचपीजी बेस) (जिनको इसके पश्चात् संबद्ध माल कहा गया है) पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना सं. 122/2002-सीमाशुल्क, तारीख 31 अक्तूबर, 2002 [सा.का.नि. 746(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2002 द्वारा अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के जारी रहने के संबंध में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 6 दिसम्बर, 2006 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 15/31/2006-डीजीएडी, 6 दिसम्बर, 2006 द्वारा समीक्षा प्रारंभ की थी;

और जबकि केन्द्रीय सरकार ने, संबद्ध देशों से निर्यात, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 13/2007-सीमाशुल्क, तारीख 14 फरवरी, 2007 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 14 फरवरी, 2007, सा.का.नि. 83(अ), तारीख 14 फरवरी, 2007 द्वारा प्रकाशित हुई थी, संबद्ध माल पर, अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क की अवधि 14 फरवरी, 2008 तक बढ़ा दी गई, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है;

और जबकि अभिहित प्राधिकारी, अपने अंतिम निष्कर्षों अधिसूचना सं. 15/31/2006-डीजीएडी, 4 दिसम्बर, 2007 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 5 दिसम्बर, 2007 में प्रकाशित हुई, संबद्ध देशों से संबद्ध माल आयात करने पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करने के संदर्भ में इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि

(क) चीन जनवादी गणराज्य से भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात इसके सामान्य कीमत से कम पर किया गया है संबद्ध वस्तु के पाटन के जारी रहने की संभावना है ।

(ख) चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का होना जारी है ।

(ग) घरेलू उद्योग इस निष्कर्ष पर पहुंचने को तैयार नहीं है कि यह क्षति पाटित आयात के कारण हुई है ।

(घ) घरेलू उद्योग इस निष्कर्ष पर पहुंचने को तैयार नहीं है कि यह संबद्ध देशों से संबद्ध माल पर प्रतिपाटन शुल्क हटाने से कार्यक्षमता पर बुरा असर पड़ेगा; और

संबद्ध देश से उदगमित या आयातित संबद्ध माल पर प्रतिपाटन शुल्क को वापस लेने की सिफारिश की है;

इसलिए अब, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटन शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 23 और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त अंतिम जांच परिणाम को ध्यान में रखते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), सा.का.नि. 746(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2002 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 122/2002-सीमाशुल्क, तारीख 31 अक्तूबर, 2002 को उन बातों के सिवाय जो ऐसे विखंडन से पूर्व की गई है या जिन्हें करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है ।

[फा. सं. 354/226/2001-टीआरयू (पार्ट-I)]

सोनल बजाज, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2008

No. 8/2008-Customs

G.S.R. 28(E). - Whereas, the designated authority, *vide* its notification No. 15/31/2006-DGAD, published in Part I, Section I of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 6th December, 2006, had initiated a review in the matter of continuation of antidumping duty on imports of D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base (PHPG Base) (hereinafter referred to as the subject goods) classified under sub-heading 2942 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, the People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification No. 122/2002-Customs, dated the 31st October, 2002, published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 746(E), dated the 31 st October, 2002;

And whereas, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods, originating in, or exported from, the subject country upto and inclusive of the 14th February, 2008, *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 13/2007 -Customs dated the 14th February, 2007, published in the Gazette of India *vide* No. G.S.R 83(E), dated the 14th February, 2007;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping on import of the subject goods, originating in, or exported from, the subject country, the designated authority *vide* its final findings No. 15/31/2006-DGAD dated the 4th December, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 5th December, 2007 has come to the conclusion that

(a) the subject goods have been exported to India from the People's Republic of China below the normal values resulting in continued dumping;

(b) the domestic industry has suffered continued injury;

(c) the domestic industry has not been able to establish that their injury has been due to the dumped imports;

(d) the domestic industry has not been able to establish that discontinuation of antidumping duty on the subject goods from the subject country is likely to have adverse affect on their performance; and

has recommended discontinuation of anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in, or exported from, the subject country;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 122/2002-Customs, dated the 31st October, 2002, published in the Gazette of India *vide* number G.S.R.746 (E), dated the 31st October, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 354/226/2001-TRU (Pt-I)]

S. BAJAJ, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2008

सं. 9/2008-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 29(अ).—अभिहित प्राधिकारी, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 2942 00 के अंतर्गत आने वाले सिंगापुर में मूलत: उद्गमित या वहां से निर्यात किये गए डी (-) पैरा हाईड्रोक्सी फिलाइन ग्लाइसिन बेस (पीएचपीजी बेस) (जिनको इसके पश्चात् संबद्ध माल कहा गया है) पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना सं. 100/2006-सीमाशुल्क, तारीख 29 सितम्बर, 2006 [सा.का.नि. 603(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2006] द्वारा अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के जारी रहने के संबंध में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1, तारीख 6 दिसम्बर, 2006 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 15/31/2006-डीजीएडी, 6 दिसम्बर, 2006 द्वारा समीक्षा प्रारंभ की थी;

और जबकि केन्द्रीय सरकार ने, संबद्ध देशों से उद्गमित या निर्यातित संबंद्ध माल पर प्रतिपाट शुल्क, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 14/2007-सीमाशुल्क, तारीख 14 फरवरी, 2007 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i) तारीख 14 फरवरी, 2007, सा.का.नि. 84(अ), तारीख 14 फरवरी, 2007 द्वारा प्रकाशित हुई थी, संबद्ध माल पर, अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को अवधि 14 फरवरी, 2008 तक बढ़ा दी गई, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है;

और जबकि अभिहित प्राधिकारी, अपने अंतिम निष्कर्षों अधिसूचना सं. 15/31/2006-डीजीएडी, 4 दिसम्बर, 2007 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1, तारीख 5 दिसम्बर, 2007 में प्रकाशित हुई, संबद्ध देशों से संबद्ध माल आयात करने पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करने के संदर्भ में इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि

(क) सिंगापुर से भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात इसके सामान्य कीमत से कम पर किया गया है संबद्ध वस्तु के पाटन के जारी रहने की संभावना है ।

(ख) सिंगापुर से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का होना जारी है ।

(ग) घरेलू उद्योग इस निष्कर्ष पर पहुंचने को तैयार नहीं है कि यह क्षति पाटित आयात के कारण हुई है ।

(घ) घरेलू उद्योग इस निष्कर्ष पर पहुंचने को तैयार नहीं है कि संबद्ध देशों से संबद्ध माल पर प्रतिपाटन शुल्क हटाने से कार्यक्षमता पर बुरा असर पड़ेगा; और

संबद्ध देश से उदगमित या आयातित संबद्ध माल पर प्रतिपाटन शुल्क को वापस लेने की सिफारिश की है;

इसलिए अब, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटन शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 23 और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त अंतिम जांच परिणाम को ध्यान में रखते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), सा.का.नि. 603(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2006 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 100/2006-सीमाशुल्क, तारीख 29 सितम्बर, 2006 को उन बातों के सिवाय जो ऐसे विखंडन से पूर्व की गई है या जिन्हें करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है ।

[फा. सं. 354/226/2001-टीआरयू (पार्ट-I)]

सोनल बजाज, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2008

No. 9/2008-Customs

G.S.R. 29(E).—Whereas, the designated authority, *vide* its notification No. 15/31/2006-DGAD, published in Part I, Section I of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 6th December, 2006, had initiated a review in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base (PHPG Base) (hereinafter referred to as the subject goods), classified under sub-heading 2942 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in or exported from Singapore (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification No. 100/2006-Customs, dated the 29th September, 2006, published in the Gazette of India *vide* number G.S.R.603 (E), dated the 29th September, 2006;

And whereas, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods, originating in, or exported from, the subject country upto and inclusive of the 14th February, 2008, *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 14/2007-Customs dated the 14th February, 2007, published in the Gazette of India, *vide* No. G.S.R 84(E), dated the 14th February, 2007;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping on import of the subject goods, originating in, or exported from, the subject country, the designated authority *vide* its final findings No. 15/31/2006-DGAD dated the 4th December, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 5th December, 2007 has come to the conclusion that

(a) the subject goods have been exported to India from Singapore below the normal values resulting in continued dumping;

(b) the domestic industry has suffered continued injury;

(c) the domestic industry has not been able to establish that their injury has been due to the dumped imports;

(d) the domestic industry has not been able to establish that discontinuation of anti-dumping duty on the subject goods from the subject country is likely to have adverse affect on their performance; and

has recommended discontinuation of anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in, or exported from, the subject country;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9 A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 100/2006-Customs, dated the 29th September, 2006, published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 603 (E), dated the 29th September, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 354/226/2001-TRU (Pt-I)]

S. BAJAJ, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.